(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन

अधिसूचना सं. 04/2023
नई दिल्ली, दिनांकः मई, 2023

विषयः वित्त विधेयक, 2023 के अंतर्गत किए गए संशोधनों के परिणामस्वरूप दिनांक 01.05.2023 से आरओडीटीईपी अनुसूची का पुनःसंरेखण।

सा.आ.(अ.) विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा परिशिष्ट 4द में दिनांक 01.05.2023 से निम्नलिखित परिवर्धन/संशोधन करती हैः

i. आरओडीटीईपी अनुसूची में 8 अंक स्तर पर 149 प्रशुल्क लाइनों को जोड़ा जाता है।
ii. आरओडीटीईपी अनुसूची से 8 अंक स्तर पर 52 प्रशुल्क लाइनों को हटाया जाता है।

2. उपर्युक्त पैरा में यथा उल्लिखित एचएस कोड आरओडीटीईपी दरों/अधिकतम मूल्य सीमा के साथ डीजीएफटी के पोर्टल www.dgft.gov.in पर रेगुलेटरी अपडेट्स > आरओडीटीईपी लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है।

2. इस अधिसूचना का प्रभावः वित्त विधेयक 2023 के अधिनियमन के परिणामस्वरूप आरओडीटीईपी अनुसूची (परिशिष्ट 4द) में दिनांक 01.05.2023 से कतिपय परिवर्तन किए जा रहे हैं ताकि इसे सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम की प्रथम अनुसूची के साथ संरेखित किया जा सके।

संतोष कुमार सारंगी
1.5.2023

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेल : dgft@nic.in

(फा.सं. 01/61/180/155/एएम2/पीसी–3 से जारी)